

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues

New Delhi dated 09.08.2018

**Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 41 OF 2018)

**Sub: Modification in the Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK)
policy.**

The scheme of YTSK was introduced vide Commercial Circular no. 33 of 2014 and provisions of the scheme have been modified vide CC nos. 35, 37, 39, 40 & 45 of 2014, 21&59 of 2015 and 55 of 2017.

2. The YTSK scheme has been further reviewed in consultations with Finance Directorate of the Ministry of Railways to make certain modifications in the scheme. The modifications are as follows:-

S. No.	Feature of the scheme	Existing Provision	Revised Provision
1.	Terminal Access Charge	As per Para 3.5 of CC no. 33/2014, the licensee pays system access charges of ₹ 1.6 lakh per terminal per annum.	YTSK Licensee shall pay ₹ 1.6 lakh per terminal at the time of each renewal (now once in 3 years instead of every year).
2.	Registration Fee	As per Para 5.1 of CC no. 33/2014, YTSKL pays a one-time non-refundable registration fee of ₹ 5 lakh upon allotment of license.	Licensee shall pay one-time non-refundable registration fee of ₹ 2 lakh upon allotment of license.
3.	Renewal of License	As per Para 7 of CC no. 33/2014, the initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for one year at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal.	The initial tenure of the license is for a period of 3 years. The license can be renewed for three years at a time after expiry of its existing tenure subject to the satisfaction of the competent authority and as per the extant policy prevalent during the period of renewal. For the existing YTSKs, this will be applicable at the time of next renewal.

[Signature]
9/8/18


[Signature]

4.	Security Deposit	As per Para 5.3 of CC no. 33 of 2014, the YTSK licensee is required to keep an interest free security deposit of ₹ 2 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.	The YTSK licensee is required to keep an interest free security deposit of ₹ 1 lakh per port subject to a maximum of ₹ 5 lakh with the Railways.
5.	Timing restriction for operation of YTSK terminals	As per Para 1(v) of Commercial Circular no. 21 of 2015, the operational timings for general reservation for booking of PRS and UTS tickets at YTSKs are 0830 hours to 2200 hours on weekdays and from 0830 hours to 2000 hours on Sundays. The booking hours for Tatkal reservation start at 1030 hours or as per timings specified by Ministry of Railways from time to time.	On the opening day of reservation the timings of restriction for booking general as well as Tatkal reservation will be reduced from existing 30 minutes to fifteen minutes. As such YTSKs shall be able to issue general tickets on the opening day of reservation from 0815 hours and Tatkal tickets on the opening day of reservation from 1015 hours and 1115 hours for AC and non-AC classes respectively.
6.	Eligibility criterion	As per Para 2 (i) of CC no. 33 of 2014, the applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least five years.	The applicant should have worked as authorised ticketing agent providing railway ticketing (reserved/unreserved) services for passengers of Indian Railways for at least two (02) years.
7.	Transfer of License	As per, Para 18 of CC no. 39/2014 license shall be non-transferrable, provided that in case of death of agent, the license may be transferred to his/her legal heir on a request made in writing for the unexpired period only of the license by the competent authority and the legal heir shall be eligible to apply for renewal of the said license in accordance with the provisions of rules, as applicable at the time of renewal.	The following clause may be added in the scheme: "The YTSK will indicate two (02) nominees/legal heirs in whose name the license should be transferred in case of death of the YTSK. In case the nominee 1 passes away before the YTSK or is unwilling to continue as YTSK after the demise of the original allottee, nominee 2 shall be asked to continue as YTSK.

P. S.
7/9/18

Javir Jumar

3. The aforesaid modifications will take effect prospectively from the date of issue of this circular. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.
4. All the remaining provisions of the existing policy shall remain unchanged.
5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues

Dated: 09.08.2018

Copy forwarded to:
FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.


for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-1/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज

नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) नीति में आशोधन।

वाईटीएसके योजना को 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के तहत शुरू किया गया था और 2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 35, 37, 39, 40 और 45, 2015 के 21 और 59 तथा 2017 के 55 के तहत इस योजना के प्रावधानों में आशोधन किए गए हैं।

2. इस योजना में कुछ आशोधन करने के लिए रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श से वाईटीएसके योजना की पुनः समीक्षा की गई है। ये आशोधन निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	योजना की विशेषता	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	टर्मिनल अभिगमन प्रभार	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 3.5 के अनुसार, लाइसेंसधारी प्रति टर्मिनल प्रति वर्ष 1.6 लाख रुपए के प्रणाली अभिगमन प्रभार का भुगतान करेंगे।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी प्रत्येक नवीकरण के समय (प्रत्येक वर्ष के बदले अब 3 वर्ष में एक बार) प्रति टर्मिनल 1.6 लाख रुपए का भुगतान करेंगे।
2.	पंजीकरण शुल्क	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 5.1 के अनुसार, वाईटीएसकेएल लाइसेंस आबंटित होने पर एकबारगी 5 लाख रुपए के अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करता है।	लाइसेंसधारी लाइसेंस आबंटित होने पर 2 लाख रुपए के एकबारगी अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा।
3.	लाइसेंस का नवीकरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2014 के पैरा 7 के अनुसार, लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों के लिए है। लाइसेंस की मौजूदा कार्यावधि समाप्त होने के बाद	लाइसेंस की आरंभिक अवधि 3 वर्षों की है। लाइसेंस की मौजूदा अवधि समाप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने

		सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है।	पर और नवीकरण की अवधि के दौरान प्रचलित मौजूदा नीति के अनुसार, एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकता है। मौजूदा वाईटीएसकेएल के लिए अगले नवीकरण के समय यह लागू होगा।
4.	प्रतिभूति जमा	2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के पैरा 5.3 के अनुसार, अपेक्षा की जाती है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट 2 लाख रुपए की ब्याजरहित प्रतिभूति जमा रखेगा जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।	वाईटीएसके लाइसेंसधारी को रेलवे के पास प्रति पोर्ट ब्याजरहित 1 लाख रुपए की प्रतिभूति जमा रखना अपेक्षित है जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है।
5.	वाईटीएसके टर्मिनलों के परिचालन के लिए समय प्रतिबंध	2015 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 21 के पैरा 1(V) के अनुसार, वाईटीएसके के लिए पीआरएस और यूटीएस टिकटों की बुकिंग के लिए सामान्य आरक्षण चालू रहने का समय कार्य दिवसों में 0830 बजे से 2200 बजे तक और रविवार को 0830 बजे से 2000 बजे तक होता है। तत्काल आरक्षण शुरू होने के लिए बुकिंग समय 1030 बजे से या समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार होता है।	आरक्षण खुलने के दिन सामान्य और तत्काल आरक्षण बुक करने का समय प्रतिबंध मौजूदा 30 मिनट से कम करके 15 मिनट कर दिया जाएगा। अतः, वाईटीएसके आरक्षण खुलने के दिन 08.15 बजे और तत्काल टिकट आरक्षण खुलने के दिन वातानुकूलित श्रेणी के लिए और गैर-वातानुकूलित श्रेणी के लिए क्रमशः 10.15 बजे और 11.15 बजे से टिकट जारी कर सकेंगे।
6.	पात्रता मानदण्ड	2014 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33 के पैरा 2(i) के अनुसार, आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम पांच वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।	आवेदक ने भारतीय रेल के यात्रियों को कम-से-कम दो वर्षों तक रेल टिकट (आरक्षित/अनारक्षित) सेवाएं देने वाले अधिकृत टिकट एजेंट के रूप में कार्य किया हो।
7.	लाइसेंस का हस्तांतरण	वाणिज्यिक परिपत्र सं. 39/2014 के पैरा 18 के अनुसार, लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा बशर्ते कि एजेंट की मृत्यु के मामले में, लिखित में अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस की समय-सीमा समाप्त होने	इस योजना में निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाए: "वाईटीएसके ऐसे दो (02) नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को दर्शाएगा, जिनके नाम पर वाईटीएसके की

	की केवल शेष अवधि के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को लाइसेंस हस्तांतरित किया जाए और कानूनी उत्तराधिकारी नवीकरण के समय यथा लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।	मृत्यु होने पर लाइसेंस हस्तांतरित किया जाना चाहिए। यदि वाईटीएसके से पहले नामिति 1 की मृत्यु हो जाती है या वह मूल आबंटिती की मृत्यु के बाद वाईटीएसके के रूप में बने रहने के लिए अनिच्छुक हो तो नामिति 2 को वाईटीएसके बनने के लिए कहा जाएगा।”
--	--	---

3. उपर्युक्त आशोधन इस परिपत्र के जारी होने की भावी तिथि से प्रभावी होंगे। तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. मौजूदा नीति के शेष सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(समीर कुमार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)


रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-1/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज़

नई दिल्ली, दिनांक 09.08.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें



कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड

- 3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
- 4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
- 14) प्रबंध निदेशक, कॉकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.
